

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(48)एमई/गुप-1/2000

जयपुर, दिनांक

आदेश


18 SEP 2017

राज्य सरकार की अधिसूचना प. 11(7) एफडी/रुल्स/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में डॉ० सुमेर सिंह, वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन मेडिकल कॉलेज अजमेर को वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-5 में उल्लेखित दिनांक से पी.बी.-3, 15,600-39,100 निम्नानुसार ए.सी.पी. स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पद	जन्म तिथि	प्रथम कार्य ग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	डॉ० सुमेर सिंह, वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन	28.02.1974	30.09.2000	प्रथम एसीपी 30.09.2010 ग्रेड पे 6000/-

उपरोक्त जारी स्वीकृति के क्रम में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 एवं दिनांक 06.10.2008 के अनुसार संबंधित कार्यालाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि डॉ० सुमेर सिंह, एसीपी स्वीकृति तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतनमान), 2008 के पै-बैंड-3 (15,600-39,100) एवं ग्रेड पे-5400/- में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

आज्ञा से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 31203 दिनांक 24.07.2017 के संदर्भ में।
2. डॉ० सुमेर सिंह, वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज अजमेर।
3. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव